



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 195 राँची, बुधवार,

23 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 अप्रैल, 2025

संख्या-03/आरोप-11-01/2025-29963 (HRMS)--श्री अशोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-318/20), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग के विरुद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-230/स्था०, दिनांक 28.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (लोहसिंघना थाना कांड सं०-235/24, दिनांक 27.12.2024) में दिनांक 10.02.2025 को न्यायिक हिरासत में जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग भेजा गया है ।

2. अतः श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. श्री कुमार को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के अनुरूप उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहाँ श्री कुमार कारावास में जाते समय पदस्थापित थे ।

4. हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री कुमार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देंगे।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ASHOK KUMAR (110053186516)	श्री अशोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-318/20), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	10/02/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
